

APPLICATION FORMAT

Instructions :- 1 Candidates are advised to carefully go through the Recruitment Rules-2018 for Managing Director and Directors in UPCL/UJVNL/PTCUL issued vide Office Memorandum No. 307/2019/I(2)-05-15/2016 dated 20.02.2019 of Energy Department, Govt. of Uttarakhand and published alongwith this advertisement. In case of any discrepancy between aforesaid rules and this application form the rules shall prevail over.

2 Candidate may give all requisite details duly typed in the prescribed format in M.S. word)

Recent
attested
Photograph
of applicant

1.	Name of the Post Applied for with organization (UJVNL/ UPCL/PTCUL)	:	
2.	(a) Name of the applicant	:	
	(b) Designation of the applicant (in full, including name of organization where employed)	:	
	(c) Office Address	:	
3.	Address for Communication		:
4.	Telephone Nos.	Office	:
		Residence	
		Fax No.	
		Mobile No.	
		e-mail address	
5.	Eligibility Criteria fulfilment according to Rules, 2018 :-		
		<u>Date of Birth</u>	<u>Age on date of Advertisement</u>
			<u>Whether Eligible or Not</u>
A.	Age		
		<u>As per job specifications</u>	<u>Possessed by the officer</u>
			<u>Whether eligible or not</u>
B.	Academic/professional qualifications (along with the name of institutions)		
C.	Status		
D.	Experience		

6. Positions held during the preceding ten years :

Sl. No.	Designation and place of posting	Organization	From	To	Pay scale
1.					

<u>2.</u>					
<u>3.</u>					
<u>4.</u>					
<u>5.</u>					

6.(a) Nature and duration of experience relevant for the advertised post and job description as per Rules, 2018 :

<u>Sl. No.</u>	<u>Designation and place of posting</u>	<u>Organization</u>	<u>From</u>	<u>To</u>	<u>Pay scale</u>
<u>1.</u>					

7. In case the candidate is holding the present post on lien/deputation basis (for PSUs Executives) :-

(a) Name of the organization in which the lien is held.

(b) The date from which the lien is held.

(c) Date from which candidate is on deputation.

8. (a) Whether any punishment awarded to the applicant during the last 10 years : Yes or No

If yes, the details thereof

8. (b) whether any action or inquiry is going on against him as far as his knowledge goes : Yes or No

If yes, the details thereof


9. Annual Turnover of the Company where the candidate is employed (Certified copy to be attached) : Turnover Rs..... for the year (for PSUs/Private Sector Executives).

10. Instructions for employer :

According to Rules, 2018 while forwarding application through proper channel, the employer should enclose attested copies of ACRs for the preceding five years and Vigilance Clearance certificate in respect of applicant.

11. Certification and Declaration : (Candidate should give true and correct information. If it is found at any stage, (even after the appointment) that the same is false then his candidature would be rejected or appointment would be terminated, as the case may be, and he would be debarred from participating in future selections.

I certify that :



- (i) The annual report for the last audited financial year and annual turnover figures duly certified by the Company Secretary/CFO is enclosed at Encl. I (for SPSUs/Private Sector Executive).
- (ii) A write up on the significant contributions made by me during the present/past assignments and my suitability for the post is enclosed at Encl. II. (For All Categories).
- (iii) I am working at Board level position and reporting directly to on the Board or one level below Board level and reporting directly to a on the Board (For Private Sector Executives)
- (iv) The Company in which I am working is listed on the (Name) Stock exchange.
A proof of listing is at Encl. III (For Private Sector Executives).

I, certify that the details furnished by me in Column 1 to 10 are true and I am eligible for the post.



I, son of hereby certify that I have not been disqualified to act as a Director under Section 164 or any other relevant provisions of the Indian Companies Act, 2013.

I also certify that I am not facing any charge of, nor have ever been convicted for, any act of moral turpitude or economic offence.

I further submit my willingness for the interview and to join the post, if selected. I understand that, if I give my unwillingness after the interview is held, but before the appointment is processed or after issue of offer of appointment, I may be debarred for a period of one year for being considered for a Board level post in any PSE, under the State of Uttarakhand other than the one to which I belong to.

Date :

()
(Name and signature of the applicant)



उत्तराखण्ड शासन
ऊर्जा अनुभाग-2
संख्या- 307/I(2)/2019-05-15/2016
देहरादून: दिनांक 20 फरवरी, 2019

-: कार्यालय ज्ञाप :-

ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के नियंत्रणाधीन तीनों निगमों यथा उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० (यूपीसीएल), उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि० (यूजेवीएनएल) एवं पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० (पिटकुल) में प्रबन्ध निदेशक/निदेशकों की भर्ती/चयन हेतु पूर्व में प्रख्यापित समस्त नियमों का समेकन एवं संशोधन (Consolidation and Amendment) करते हुए शैक्षिक योग्यता, अनुभव तथा सेवा के स्तर एवं अन्य शर्तों हेतु निम्नलिखित नियम बनाये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :-

यह नियम उत्तराखण्ड के तीनों निगमों में प्रबन्ध निदेशक एवं निदेशकों के चयन एवं नियुक्ति हेतु प्रक्रिया निर्धारण नियम, 2018 कहलायेंगे। यह नियम तत्काल प्रभावी होंगे।

2. रिक्तियों व चयन प्रक्रिया का प्रारम्भ :-


ऊर्जा विभाग द्वारा तीनों ऊर्जा निगमों में प्रबन्ध निदेशक व निदेशकों की रिक्ति होने के 06 माह पूर्व से चयन प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी।

3. रिक्त पदों का विज्ञापन/परिचालन :-

न्यूनतम 02 राष्ट्रीय समाचार पत्रों एवं प्रादेशिक संस्करणों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में रिक्तियों का विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त रिक्तियों की सूचना सभी राज्यों, केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय तथा सभी महत्वपूर्ण ऊर्जा निगमों/कंपनियों को भी परिचालित की जायेगी और ऐसे राज्यों, विभागों/कंपनियों की एक सूची, पता सहित तैयार कर ली जायेगी। विज्ञापन के साथ सभी पदों के लिए आवेदन पत्र का आलेख भी संलग्न किया जायेगा जो इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र उचित माध्यम से अर्थात् नियोक्ता के माध्यम से भेजा जायेगा।

परन्तु यह कि आवेदन पत्र के आलेख तथा इन नियमों में किसी अन्तर अथवा विरोधाभास के होने पर यह नियम प्रभावी होंगे।

परन्तु यह कि साक्षात्कार की तिथि तक नियोक्ता के माध्यम से आवेदन पत्र केवल उस दशा में स्वीकार किया जायेगा यदि अभ्यर्थी द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रेषित अपने आवेदन पत्र के साथ विज्ञापन में निर्धारित अवधि में नियोक्ता को उचित माध्यम से आवेदन प्रेषित किये जाने का प्रमाण दे दिया जाय।



4. अनुशासनिक कार्यवाही/सतर्कता जॉच आख्या :-

अभ्यर्थी को अपने नियोक्ता अधिकारी से अनुशासनिक कार्यवाही/सतर्कता जॉच के सम्बन्ध में एक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा जिसमें सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध वर्तमान में चल रही अनुशासनात्मक कार्यवाही की आख्या, पिछले 10 वर्षों में सम्बन्धित अभ्यर्थी को दण्ड/शास्ति से सम्बन्धित आख्या, पिछले 05 वर्षों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों का सार आदि का भी विवरण/प्रमाण पत्र दिया जायेगा।

परन्तु यह कि साक्षात्कार की तिथि तक नियोक्ता का उपर्युक्त प्रमाण पत्र उस दशा में स्वीकार किया जायेगा यदि अभ्यर्थी द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रेषित अपने आवेदन पत्र के साथ विज्ञापन में निर्धारित अवधि में नियोक्ता को उचित माध्यम से आवेदन प्रेषित किये जाने का प्रमाण दे दिया जाय।

5. प्राप्त आवेदन पत्रों की स्कूटनी :-

प्रमुख सचिव/सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन द्वारा गठित स्कूटनी समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की स्कूटनी की जाएगी। स्कूटनी समिति का अध्यक्ष अपर सचिव से न्यून स्तर का अधिकारी नहीं होगा।

6. चयन समिति:-

आवेदन पत्रों की स्कूटनी के उपरान्त अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। साक्षात्कार हेतु निम्नानुसार समिति गठित होगी :-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन - अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव/सचिव, औद्योगिक विकास विभाग (सार्वजनिक उद्यम) - सदस्य
(प्रमुख सचिव/सचिव की अनुपलब्धता की दशा में मुख्य सचिव द्वारा अनुमोदित किये जाने पर अपर सचिव चयन समिति की कार्यवाही में प्रतिभाग करने के लिए अधिकृत होंगे)
3. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग - सदस्य
(प्रमुख सचिव/सचिव की अनुपलब्धता की दशा में मुख्य सचिव द्वारा अनुमोदित किये जाने पर अपर सचिव चयन समिति की कार्यवाही में प्रतिभाग करने के लिए अधिकृत होंगे)
4. प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग - सदस्य
(प्रमुख सचिव/सचिव की अनुपलब्धता की दशा में मुख्य सचिव द्वारा अनुमोदित किये जाने पर अपर सचिव चयन समिति की कार्यवाही में प्रतिभाग करने के लिए अधिकृत होंगे)
5. प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग - सदस्य सचिव
6. (02) विषय विशेषज्ञ जो मुख्य सचिव द्वारा नामित किये जाए - सदस्य

7. सेवा अवधि एवं कार्यों का मूल्यांकन :-

नियुक्ति के उपरान्त सभी पदों पर नियुक्ति की अवधि 03 वर्ष अथवा अधिवर्षता आयु (60 वर्ष) जो भी पहले हो, होगी। यदि राज्य सरकार का विनिश्चय हो जाए तो नियुक्त पदधारकों को 03 माह का अग्रिम नोटिस देकर सेवा से पृथक् किया जा सकेगा।

उक्त सभी पदों पर नियुक्त पदधारकों के कार्यों का सम्यक् मूल्यांकन करने के उपरान्त यथाप्रक्रिया 02 वर्ष के कार्यकाल में अभिवृद्धि की जा सकेगी।

उक्त के अतिरिक्त प्रबन्ध निदेशक/निदेशकों के कार्यों का सम्यक् मूल्यांकन यथाप्रक्रिया प्रतिवर्ष किया जायेगा।

8. परिवीक्षा एवं स्थाईकरण :-

चयनित अम्यर्थी की परिवीक्षा अवधि 01 वर्ष की होगी। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पाये जाने पर शेष अवधि के लिए स्थाईकरण किया जायेगा।

9. व्यावृत्ति :-

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी कठिनाई होने पर अथवा राज्य सरकार का विनिश्चय होने पर राज्य सरकार द्वारा इन नियमों में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।

10. निरसन:-

इस नियमावली के प्रख्यापन के उपरान्त इस विषय पर जारी समस्त पूर्व नियम निरसित समझे जायेंगे।

11. आयु/शैक्षिक योग्यता/अनुभव/सेवा का स्तर निम्नवत है:-

प्रबन्ध निदेशक, आयु: -विज्ञापन की तिथि को न्यूनतम आयु 45 वर्ष अधिकतम 58 वर्ष।
यूपीसीएल/पिटकुल/यू जेवीएनएल

शैक्षिक योग्यता:- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अभियन्त्रण में स्नातक की उपाधि। ऐसे अम्यर्थी जो प्रबन्धन क्षेत्र की योग्यता रखते हो एवं वित्त/विपणन/परियोजना प्रबन्धन की जानकारी रखते हो उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी।

वेतनमान: पै मैट्रिक्स
लेवल -16
182200-224100

अनुभव:- विज्ञापन की तिथि को अम्यर्थी का कुल अनुभव न्यूनतम 20 वर्ष जिसमें से ऊर्जा क्षेत्र में कार्य का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव अनिवार्य होगा। प्रबन्ध निदेशक, यूपीसीएल/पिटकुल के लिए विद्युत वितरण अथवा पारेषण का अनुभव तथा प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएनएल के लिए विद्युत उत्पादन क्षेत्र का अनुभव धारकों को वरीयता दी जायेगी।

सेवा का स्तर:- सरकारी संस्थाओं/उपक्रमों/संयुक्त उपक्रमों/निजी क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी जो किसी

सरकारी संस्था/उपक्रमों/संयुक्त उपक्रमों/निजी क्षेत्र में निदेशक/कार्यकारी निदेशक या समकक्ष पद पर 02 वर्ष का अनुभव रखते हों, अर्ह होंगे।

परन्तु यह कि समकक्षता के विषय में किसी प्रश्न पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड राज्य के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन ऊर्जा निगमों/परिषदों में निदेशक मण्डल में मौलिक रूप से निदेशक के पद पर न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी भी पात्र होंगे। सरकारी/ संयुक्त उपक्रमों में कार्यरत अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी।

निदेशक (परियोजना आयु:- विज्ञापन की तिथि को न्यूनतम आयु 45 वर्ष /आपरेशन) यूपीसीएल अधिकतम 58 वर्ष।

/पिटकुल/ शैक्षिक योग्यता:- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अभियन्त्रण में स्नातक की उपाधि।

यूजेवीएनएल अनुभव- विज्ञापन की तिथि को अभ्यर्थी को ऊर्जा क्षेत्र में वेतनमान:- पै मैट्रिक्स कार्य का न्यूनतम 20 वर्ष का अनुभव अनिवार्य होगा जिसमें से न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता या समकक्ष पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अधिकारी के रूप में अनिवार्य होगा। निदेशक (परियोजना) यूपीसीएल/पिटकुल/यूजेवीएनएल के लिए ऊर्जा वितरण या पारेषण या उत्पादन का न्यूनतम 05 वर्षों का अनुभव अनिवार्य होगा। परियोजना निर्माण का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी। निदेशक (परिचालन) यूपीसीएल एवं निदेशक (परिचालन एवं अनुरक्षण) पिटकुल एवं निदेशक (परिचालन) यूजेवीएनएल के लिए वितरण या पारेषण या उत्पादन में न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव परिचालन एवं अनुरक्षण में अनिवार्य होगा।

सेवा का स्तर:-सरकारी संस्थाओं/उपक्रमों/ संयुक्त उपक्रमों/निजी क्षेत्र में वेतनमान 37400-67000 या (CDA) या 43200-66000 (IDA) में 02 वर्ष से मौलिक रूप से कार्यरत अधिकारी भी पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में न्यूनतम 02 वर्ष से मौलिक रूप से कार्यरत महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता या समकक्ष स्तर के अधिकारी भी पात्र होंगे।

परन्तु यह कि समकक्षता के विषय में किसी प्रश्न पर

निदेशक
(वित्त)
/यूपीसीएल/पिटकुल
/यूजेवीएनएल
वेतनमान:-पै मैट्रिक्स
लेवल-16
182200-224100

राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

आयु-विज्ञापन की तिथि को न्यूनतम आयु 45 वर्ष अधिकतम 58 वर्ष।

शैक्षिक योग्यता:- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से CA/ICWA/MBA/PGDBM (02 वर्ष) (वित्त/वित्तीय प्रबन्धन में विशेषज्ञता) में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

अनुभव:-विज्ञापन की तिथि को अभ्यर्थी को वित्त एवं लेखा क्षेत्र में कार्य का न्यूनतम 20 वर्ष का अनुभव अनिवार्य होगा, जिसमें से न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता या समकक्ष पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अधिकारी के रूप में अनिवार्य होगा।

राज्य सरकार में वित्त सेवा के वह अधिकारी भी पात्र होंगे जो उपरोक्त न्यूनतम अर्हता धारक होंगे व 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हो।

सेवा का स्तर:- सरकारी संस्थाओं/उपक्रमों/ संयुक्त उपक्रमों/निजी क्षेत्र में वेतनमान 37400-67000 (CDA) या 43200-66000 (IDA) में 02 वर्ष से मौलिक रूप से कार्यरत अधिकारी भी पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में न्यूनतम 02 वर्ष से मौलिक रूप से कार्यरत महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता या समकक्ष स्तर के अधिकारी भी पात्र होंगे।

परन्तु यह कि समकक्षता के विषय में किसी प्रश्न पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

निदेशक
(मानव
संसाधन)/यूपीसीएल/
पिटकुल/यूजेवीएनएल
वेतनमान:-पै मैट्रिक्स
लेवल-16
182200-224100


आयु:- विज्ञापन की तिथि को न्यूनतम आयु 45 वर्ष अधिकतम 58 वर्ष

शैक्षिक योग्यता:- इच्छुक अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक की उपाधि धारक होंगे। पर्सनल मैनेजमेंट/मानव संसाधन/औद्योगिक सम्बन्ध विषय में डिप्लोमा/ डिग्री या एम0बी0ए0/विधि स्नातक/औद्योगिक अभियन्त्रण में मान्यता प्राप्त डिग्री धारकों को वरीयता दी जायेगी।

अनुभव:-विज्ञापन की तिथि को अभ्यर्थी को मानव संसाधन/प्रशासनिक क्षेत्र में कार्य का न्यूनतम 20 वर्ष का अनुभव अनिवार्य होगा, जिसमें से न्यूनतम 02 वर्ष का

अनुभव महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता या समकक्ष पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अधिकारी के रूप में अनिवार्य होगा।
सेवा का स्तर:- सरकारी संस्थाओं/उपक्रमों/ संयुक्त उपक्रमों/निजी क्षेत्र में वेतनमान 37400-67000 (CDA) या 43200-66000 (IDA) में 02 वर्ष से मौलिक रूप से कार्यरत अधिकारी भी पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में न्यूनतम 02 वर्ष से मौलिक रूप से कार्यरत महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता या समकक्ष स्तर के अधिकारी भी पात्र होंगे।

परन्तु यह कि समकक्षता के विषय में किसी प्रश्न पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।



(सधिका झा)
सचिव।
0/c

संख्या-307/(2)/2019-05-15/2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून।
6. प्रबन्ध निदेशक, यूपीसीएल/पिटकुल/यूजेवीएनएल, देहरादून।
7. मुख्य विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा विभाग, हल्द्वानी (नैनीताल)।
8. ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन।
9. प्रभारी एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(प्रकाश चन्द्र जोशी)
उप सचिव।
0/c